A7/1

...लय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

...सीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
101 / प्रा.पत्र / 2018	25.07.2018	03.03.2021

श्री अरूण सक्सेना, खा0सु0अधिकारी क्षेत्र कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, कोटा। हाल मुकाम–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा। –प्रार्थी

–बनाम–

श्री मांगीलाल पुत्र श्री प्रभूलाल गुर्जर, निवासी–गेट नं. 8 के सामने नैंनवा रोड, सुभाष नगर, बून्दी (विक्रेता एवं मालिक)। मैसर्स–देव डेयरी, गेट नं. 8 के सामने, नैंनवा रोड, सुभाष नगर, बून्दी। –अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से–श्री अरूण सक्सेना, खा0सु0अधिकारी क्षेत्र कोटा जोन के स्थान पर श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी,बून्दी

अप्रार्थी की ओर से–श्री रणवीर सिंह एड0

–: निर्णय :–

श्री अरूण सक्सेना, खा0सु0अधिकारी क्षेत्र कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, कोटा द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये है:–

1. मैं अरूण सक्सेना, दिनांक 31.01.2018 कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, कोटा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच / एफएसएसए / (एफ–28) / नोटिफिकेशन / 2012 / 172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे ब्राज सील नम्बर 84 व कार्य क्षेत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकि0 एवं स्वा0 सेवायें, जोन, कोटा आंवटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2012 / 437 दिनांक 09.01.2012 के अनुसार कोटा जोन के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियॉ इस्तगासे के साथ संलग्न है।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.01.2018 को समय 02:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु मैसर्स देव डेयरी, गेट नं. 8 के सामने नैंनवा रोड,

A7/2

...वेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.01.2018 को समय 02:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु मैसर्स देव डेयरी, गेट नं. 8 के सामने नैंनवा रोड, सुभाष नगर, बून्दी स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंचा। वहां पर श्री मांगीलाल पुत्र श्री प्रभूलाल गुर्जर, निवासी–गेट नं. 8 के सामने नैंनवा रोड, सुभाष नगर, बून्दी, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त प्रतिष्ठान के अन्दर एक डीप फ्रिज में एक प्लास्टिक की कैन में करीब 12 किलो दही रखा हुआ था जिनका खाद्यकारोबारकर्ता आम जनता को बेचान कर रहा था। दही में मिलावट का शक होने पर उक्त दही का नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना फार्म नं. 5ए पर देते हुऐ 800 ग्राम दही एक साफ सुखी स्वच्छ स्टील की भगोनी में जांच वास्ते खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 24/– नगद देकर खदीद रसीद प्राप्त की।

4. तत्का. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ दही के 800 ग्राम को उसी साफ सुखी स्वच्छ भगोनी में एकरूप चार कांच की शीशीयों में डालकर प्रत्येक में फार्मेलीन की 16–16 बूंदे डालकर एयरटाईट बंद किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थो का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एई–722 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कोटा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एई–722 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे सेऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

5. तत्का. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की एवं उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील से लगाया जिससे मौके पर नमूना को सील चपडी किया गया। एक नमूना भग मय फार्म सं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील मोहर किया एवं फार्म सं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर जोन कार्यालय, कोटा केक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी री रघुनाथ मीणा द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील्ड नमूने मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग को मय फार्म नं. 6 के अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें परिक्षेत्र, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

6. आवेदक तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं उपनिदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं परिक्षेत्र, कोटा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/46(4)/2018/31 दिनांक 11.02.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य

सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/46/एक्ट/2018/64 दिनांक 07.02.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया दही, स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) पाया गया।

7. आवेदक तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता श्री मांगीलाल पुत्र श्री प्रभुलाल गुर्जर को उसके प्रतिष्ठान के मालिकाना हक, खाद्य अनुज्ञा पत्र बाबत कार्यालय पत्रांक 44 दिनांक 13.03.2018 द्वारा लिखा गया, पत्र के उत्तर में खाद्य कारोबारकर्ता श्री मांगीलाल पुत्र श्री प्रभूलाल गुर्जर द्वारा स्वयं को उक्त प्रतिष्ठान का विक्रेता मालिक एवं निर्माता जाहिर करते हुये खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं स्वयं के ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित की छायाप्रति प्रस्तुत की।

8. श्रीमान उप निदेशक एवं अभिहित अधिकारी जाने कोटा के पत्रांक 83 दिनांक 22.06.2018 द्वारा प्रकरण को वास्ते न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने बाबत स्वीकृति जारी की गई।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र/इस्तगासा में वर्णित तथ्य कि अप्रार्थी का प्रतिष्ठान मैसर्स देव डेयरी नैंनवा रोड, बून्दी पर होना एवं अप्रार्थी के द्वारा दूध दही का कारोबार करना स्वीकार है। शेष तथ्य अस्वीकार है। अप्रार्थी ने दही में किसी भी तरह की मिलावट नहीं की है। खाद्य पदार्थ अशुद्व पात्र में लिये जाने पर प्रभाव पडता हैं जिससे उसकी सही रिपोर्ट नहीं आती है। अतः कार्यवाही समाप्त किये जाने की कृपा करे। अप्रार्थी द्वारा साफ सफाई व गुणवता का ध्यान रखा जाता है। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। अप्रार्थी छोटा व्यापारी होने से सहानुभूति का रूख अपनाते हुए निर्णय करने की कृपा करे।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

बवकत बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अरूण सक्सेना के स्थान पर श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता (खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी) न्यायालय में उपस्थित जिन्होनें बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ दही का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर, धारा 51 का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा बवक्त दोहराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र/इस्तगासा में वर्णित तथ्य कि अप्रार्थी का प्रतिष्ठान मैसर्स देव डेयरी नैंनवा रोड, बून्दी पर होना एवं अप्रार्थी के द्वारा दूध दही का कारोबार करना स्वीकार है। शेष तथ्य अस्वीकार है। अप्रार्थी ने दही में किसी भी तरह की मिलावट नहीं की है। खाद्य पदार्थ अशुद्व पात्र में लिये जाने पर प्रभाव पडता हैं जिससे उसकी सही रिपोर्ट नहीं आती है। अप्रार्थी द्वारा साफ सफाई व गुणवता का ध्यान रखा जाता है। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। अप्रार्थी छोटा व्यापारी होने से सहानुभूति का रूख अपनाते हुए निर्णय करने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थी के वकील पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना दही खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा की जांच रिपोर्ट में

(Substandard) घोषित किया गया है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ दही का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भंडारण एवं विकय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विकय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अप्रार्थी श्री मांगीलाल पुत्र श्री प्रभूलाल गुर्जर मैसर्स देव डेयरी, गेट नं. 8 के सामने नैंनवा रोड, सुभाष नगर, बून्दी के मालिक/लाईसेन्स धारक है उक्त स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ दही की विकय हेतु आपूर्ति की गई है। अप्रार्थी का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी को 15,000/- (अक्षरे-पन्द्रह हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)